	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	श्रावण 14, बुधवार, शाके 1942–अगस्त 5, 2020 *Sravana 14, Wednesday, Saka 1942–August 5, 2020*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियां,छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

जयपुर, जुलाई 20, 2020

संख्या-एफ-7(76/2)/रालसा/निदेशक/पी.एल.ए.गठन/2017/428:- माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा को राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7) विधि/2/विरसं/90 पार्ट/102 दिनांक 09.07.2020 द्वारा अनुमोदन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्सम्बन्धित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यो की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोटा, उदयपुर, जयपुर महानगर, अजमेर एवं सिरोही में पूर्णकालिक अध्यक्षो की नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशो के अधीन जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश स्तर से सेवानिवृत या निर्वतमान अधिकारियों को पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर कार्यग्रहण/पदस्थापन प्रभाव मे आने की तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	**अध्यक्ष का नाम**	**पद नाम**	**स्थाई लोक अदालत जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय**	**स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार**
1.	श्री रविन्द्र कुमार माहेश्वरी	अध्यक्ष	कोटा	संपूर्ण राजस्व जिला
2.	श्री रवि प्रकाश शर्मा	अध्यक्ष	उदयपुर	संपूर्ण राजस्व जिला
3.	सुश्री चन्द्रकला जैन	अध्यक्ष	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर (पूर्ववत)
4.	श्री नरसिंहदास व्यास	अध्यक्ष	अजमेर	संपूर्ण राजस्व जिला
5.	श्री प्रदीप कुमार जैन	अध्यक्ष	सिरोही	संपूर्ण राजस्व जिला

1. उक्त अधिकारीगण को 17 अगस्त, 2020 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. उक्त समस्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्सम्बन्धित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यो की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
3. उक्त अधिकारीगण की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।